

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.2(2)चिस्वा/2/2016 पार्ट-1/1263

जयपुर, दिनांक :

**आदेश**

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24बीबी के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2018 में डॉ यदुराज सिंह, उप निदेशक (जन्मतिथि 14.03.1967) के विरुद्ध सीसीए नियम-16 में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण कमेटी द्वारा इनका पदोन्नति का परिणाम बन्द लिफाफे में रखने की अभिशंषा की गयी थी।

डॉ. यदुराज सिंह के विरुद्ध उक्त विचाराधीन प्रकरण के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बन्द लिफाफे को खोला जाकर डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2018 से प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति के फलस्वरूप इनका पदस्थापन यथावत रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राज.।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित नवपदोन्नत वरिष्ठ अधिकारी।
9. कम्प्यूटर सैल/निजी/रक्षित पत्रावली।
10. प्रभारी सर्वर रुम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid



Digitally signed by Nisha Meena  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2024.03.08 13:52:38 IST  
Reason: Approved